स्टॉक लेखापरीक्षा / एजेंसियों हेतु विशिष्ट निगरानी के लिए सीए फर्मों के चयन के सामान्य पात्रता मानदंड

1) बैंक द्वारा स्टॉक लेखापरीक्षा कार्य आवंटित करने हेतु सीए फर्मों के चयन में निम्नलिखित सामान्य मानदंड अपनाए जाते हैं:

ए) सीए फर्मों का चयन आरबीआई द्वारा तैयार पैनल लेखापरीक्षाकों की सूची से किया जाएगा।

बी) ऐसी साझेदारी फर्म जिनका कम से कम 5 वर्ष का संतोषजनक अनुभव / ट्रैक रिकॉर्ड हो।

सी) फर्म में दो से अधिक साझीदार हों तथा उनमें से कम से कम एक साझीदार चार्टर्ड एकाउंटेंट (एफ़सीए) होना अनिवार्य है।

डी) फर्म ने बैंक का गत दो वित्तीय वर्षों में केंद्रीय अथवा शाखा स्तरीय सांविधिक लेखापरीक्षा नहीं की हो, तथा वर्तमान वित्तीय वर्ष के लिए सांविधिक लेखापरीक्षा आवंटित न हुआ हो। स्टॉक लेखापरीक्षा स्वीकार करते समय फर्म को यह घोषणा देना अनिवार्य होगा कि वे वर्तमान वित्तीय वर्ष में बैंक की किसी भी शाखा का सांविधिक लेखापरीक्षा स्वीकार नहीं करेंगे।

ई) स्टॉक लेखापरीक्षा फर्म बैंक की किसी भी शाखा में समकालिक लेखापरीक्षक नहीं होनी चाहिए—न नियुक्ति के समय और न ही स्टॉक लेखापरीक्षा अवधि के दौरान।

एफ़) बैंक के साथ कार्यरत विशिष्ट निगरानी एजेंसियों को भी स्टॉक लेखापरीक्षा का कार्य आवंटित किया जा सकता है। हालाँकि, किसी भी एएसएम/सीए फर्म को किसी भी वित्तीय वर्ष में कुल अधिकतम 3 (तीन) खाते—चाहे एएसएम लेखापरीक्षा हों अथवा स्टॉक लेखापरीक्षा—से अधिक आवंटित नहीं किए जाएंगे।

जी) इसके अलावा, किसी भी सीए फर्म को, स्टॉक लेखापरीक्षा का आवंटन (बीजी लेखापरीक्षा के साथ या बिना), से अधिक नहीं होगा -
(ए) श्रेणी-I सीए फर्मों को एक वर्ष में 3 खाते,
(बी) श्रेणी-II/III सीए फर्मों को एक वर्ष में 2 खाते और
(सी) श्रेणी-IV सीए फर्मों को एक वर्ष में 1 खाता

एच) फर्म के किसी भी साझीदार को बैंक का निदेशक नहीं होना चाहिए।

आई) फर्म के किसी भी साझीदार को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 226 के अंतर्गत अनर्ह नहीं किया गया होना चाहिए।

जे) जिन सीए फर्मों के समान साझीदार हों, उन्हें स्टॉक लेखापरीक्षा आवंटन के उद्देश्य से एक ही फर्म माना जाएगा।

<u>विशेषीकृत निगरानी (एएसएम) के लिए स्टॉक/लेखापरीक्षा एजेंसियों को तैनात करने हेतु बैंक द्वारा मान्य - सीए (सीए) फर्मों के लिए सामान्य पात्रता मानदंड</u>

ii) हमारे बैंक में विशेषीकृत निगरानी (एएसएम) के लिए एजेंसियों को **तैनात** करने **हेतु सीए(सीए) फर्म का चयन करते समय बैंक द्वारा निम्नलिखित सामान्य मानदंडों का पालन किया जाता है।**

विशेषीकृत निगरानी एजेंसियां (एएसएम) ऐसी संस्थाएं हैं जिनके पास अलग-अलग क्षेत्रों, उद्योगों आदि में विषय का अच्छा ज्ञान, अनुभव और कौशल रखने वाले पेशेवर होते हैं। बड़े एक्सपोजर या विशेष प्रकृति के एक्सपोजर के मामले में, ये एजेंसियां निरीक्षण, स्टॉक लेखापरीक्षा, बैंकों द्वारा प्रभारित परिसंपत्तियों की स्थिति, सभी सदस्य बैंकों के साथ लेन-देन की जांच, नकदी प्रवाह की निगरानी, अंतिम उपयोग का सत्यापन आदि सेवाएं उपलब्ध करवाती हैं।

एएसएम की नियुक्ति के लिए फ्रेमवर्क (आईबीए द्वारा सूचित) के अनुपालन में, व्यापक पात्रता मानदंड निम्नानुसार हैं:

i) एएसएम लेखापरीक्षा हमेशा सिर्फ़ श्रेणी-I सीए फर्म को ही दिया जाएगा।

ii) एएसएम फर्म, समय-समय पर सदस्य बैंकों के लिए आईबीए द्वारा अनुमोदित एएसएम की तैयार सूची में से, उधारकर्ता से संबंधित क्षेत्र की सूची में से या आईबीए की सामान्य क्षेत्र की सूची में से होनी चाहिए।

iii) एएसएम एजेंसी का उस संबंधित फ़ील्ड / क्षेत्र में अनुभव जिसमें उधारकर्ता संबद्ध है।

iv) एएसएम फर्म मौजूदा वित्तीय वर्ष और पिछले दो पूर्ण वित्तीय वर्षों (अर्थात् निरंतर तीन वर्ष) के लिए हमारे बैंक और शाखा की केंद्रीय सांविधिक लेखापरीक्षक नहीं होनी चाहिए।

v) एएसएम फर्म हमारे बैंक की किसी भी शाखा की समवर्ती लेखापरीक्षक नहीं होना चाहिए।

vi) एएसएम उस उधारकर्ता कंपनी की सांविधिक लेखापरीक्षक नहीं होना चाहिए जिसका खाता उसे आबंटित किया जा रहा है या उसे उधारकर्ता कंपनी के किसी ग्रुप/ एसोसिएट्स / सब्सिडियरी का सांविधिक लेखापरीक्षक नहीं होना चाहिए।

vii) एएसएम आबंटित सीए फर्म उसी उधारकर्ता ग्रुप की अन्य कंपनियों के साथ कोई और लेखापरीक्षा नहीं करेगी।

viii) एएसएम संबंधी कार्य किसी ऐसी सीए फर्म को आवंटित नहीं किया जाएगा, जिसके पास एक वित्तीय वर्ष में विशेषीकृत निगरानी / स्टॉक लेखापरीक्षा के लिए कम से कम 3 खाते (एएसएम) एजेंसियां (<u>सभी लेखापरीक्षाओं को मिलकर</u>) हों।

ix) आईबीए ने अपने पत्र सं. सीआईबी/पीएसबी/आरए/ईएएसई/एएसएम दिनांक 11.02.2021 के माध्यम से सुझाव दिया है कि "एएसएम को दिए जाने वाले असाइनमेंट की संख्या उनके आकार, क्षमता, विशेषज्ञता और भौगोलिक स्थानों के आधार पर हो।"

x) कोई भी प्रमोटर/डायरेक्टर/पार्टनर हमारे बैंक में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए।

xi) जिस सीए फर्म या उसके निदेशकों/भागीदारों को एएसएम संबंधी कार्य दिया जाना है, उनका उधारकर्ता फर्म और उसकी ग्रुप कंपनी/एसोसिएट्स के साथ कोई पेशेवर रिश्ता न हो और उन्हें कंपनी अधिनियम की धारा 226 के तहत अयोग्य नहीं ठहराया गया हो।

xi) जिस सीए फर्म या उसके निदेशक/भागीदार को एएसएम कार्य दिया जाता है तो उनके उधारकर्ता फर्म और उसकी ग्रुप कंपनी/सहयोगी कंपनी के साथ कोई पेशेवर रिश्ता नहीं होगा और उन्हें कंपनी अधिनियम की धारा 226 के तहत अनर्ह नहीं किया जाएगा।

xii) जिस सीए फर्म या उसके निदेशक/भागीदार को एएसएम कार्य दिया जाता है, तो उनके नाम काली सूची या किसी संगठन की सावधानी सूची में नहीं होने चाहिए और कंपनी अधिनियम की धारा 226 के तहत अनर्ह नहीं होनी चाहिए। एक वचनबद्ध/घोषणा प्रस्तुत करनी होगी।

xiii) एएसएम का उधारकर्ता कंपनी/ग्रुप/सहयोगी कंपनी/उधारकर्ता कंपनी की अनुषंगी कंपनी के साथ कोई पेशेवर/आधिकारिक या अन्य संविदा नहीं होगी। एएसएम फर्म यह भी वचन देगी कि वे उधारकर्ता कंपनी/ग्रुप/ उधारकर्ता कंपनी की अनुषंगी कंपनी के साथ एक आर्म्स लेंथ रिश्ता बनाए रखेंगी। इस बारे में एएसएम से एक वचन लेना होगा।

xiv) व्यय कम करने/ लेखापरीक्षा करने के लिए सबसे अच्छी लागत सुनिश्चित करने के लिए, कंपनी कार्यालय/फैक्ट्री की जगह के पास कार्यालय वाली फर्म को प्राथमिकता दी जाएगी।

xv) सीए फर्म को सरकार या पीएसबी या आईसीएआई या एनएफ़आरए की किसी भी विनियामक/सांविधिक प्राधिकरण या एजेंसी द्वारा विवर्जित या काली सूची में डाली गई है।

xvi) फर्म आईबीसी कोड/कंपनी विधि या किसी अन्य संविधि इत्याद के तहत पात्र या अनर्ह नहीं है।

xvii) आईबीए/सीवीसी/बैंक के दिशानिर्देश के अनुसार, श्रेणी-I की कम से कम 5 से 10 सीए फर्म से एएसएम के चयन के लिए तकनीकी और वित्तीय बिड आमंत्रित जाएंगी, जो आईबीए के साथ सूचीबद्ध हों और परिचालनगत सुविधा हेतु यह बेहतर होगा कि उनकी शाखा/कार्यालय की उधारकर्ता को यूनिट/कार्यालय के पास हो।

नोट: उपर्युक्त जानकारी सीए/फर्म/एएसएम की सामान्य जानकारी के लिए सिर्फ़ एक सांकेतिक सूची है, जिसे बैंक स्टॉक लेखापरीक्षक का चयन करते /एएसएम फर्मों से बिड मंगाते समय अनुसरण करता है। बैंक समय-समय पर जैसा उचित समझे उपर्युक्त दिशानिर्देशों में परिवर्तन कर सकते है।